न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–93/2018
CIS NO.-458/2018

साहेब मियाँ एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विरेन्द्र यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.10.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की तरफ से दिये गये आवेदन दिनांक 25.07.2022 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 25.07.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा दिनांक 24.02.2021 को एक संशोधन आवेदन प्रतिवादीगण के अधिवक्ता से हस्तगत कराकर दाखिल किया गया था। जिसपर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण से प्रत्युत्तर देने का आदेश दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रत्युत्तर तैयार कराना था लेकिन प्रतिवादी थाना में नौकरी करते है। थाना से छुट्टी नही मिलने के कारण प्रतिवादी द्वारा समय से प्रत्युत्तर दाखिल नही हो सका। अतः श्रीमान् द्वारा दिनांक 01.12.2021 के आदेश से प्रतिवादीगण को प्रत्युत्तर देने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादीगण को आदेश दिनांक 01.12.2021 को वापस लेकर प्रत्युत्तर दाखिल कर संघर्ष करने का मौका नही दिया गया तो प्रतिवादीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रतिवादीगण न्याय से वंचित हो जायेगे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश दिनांक 01.12.2021 को वापस लेते हुए प्रतिवादीगणों का प्रत्युत्तर स्वीकार करने की कृपा करें। वादीगणों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगणों के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा निवेदन किया कि प्रतिवादीगणों को प्रत्युत्तर देने का पर्याप्त समय न्यायालय द्वारा दिया गया था परंतु प्रतिवादीगणों ने जानबुझकर प्रत्युत्तर दाखिल नही किया था। अतः प्रतिवादीगणों का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण के आवेदन दिनांक 24.02.20221 के प्रत्युत्तर देने से	

लगातार 19.10.2022	प्रतिवादीगणों को दिनांक 01.12.2021 को वंचित किया गया था। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आवेदन का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। अतः प्रतिवादीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादीगणों द्वारा काफी विलंब से प्रत्युत्तर दिया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 ता 03 का आवेदन मो0–300/– हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 01.12.2021 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर को ग्रहण किया जाता है।। आगामी दिनांक 08.12.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	